



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 29 मार्च, 2005

चैत्र 8, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 484/सात-वि-1—1(क)-18-2005

लखनऊ, 29 मार्च, 2005

अधिसूचना

विविध

‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 पर दिनांक 24 मार्च, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ दस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास)
अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और नेता विरोधी दल को लखनऊ में समुचित वास-स्थान प्रदान करने की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पन्न वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

(क) "अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति या उपसभापति का पद धारण करता है:

(ख) "नेता विरोधी दल" का तात्पर्य राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के नेता विरोधी दल से है।

आवास

3—(1) राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण एवं प्रबंध के अधीन, लखनऊ में माल एवेन्यू कालोनी में स्थित आवास संख्या 9, कालिदास मार्ग पर स्थित आवास संख्या 12 और गौतम पल्ली कालोनी में स्थित आवास संख्या 5 और 18 क्रमशः अध्यक्ष विधान सभा, सभापति विधान परिषद, उपाध्यक्ष विधान सभा और उपसभापति विधान परिषद के शासकीय आवास के रूप में पदाभिहित किये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण एवं प्रबंध के अधीन माल एवेन्यू स्थित आवास संख्या 12 और गोमती नगर, फेज-दो स्थित आवास संख्या 6, टाइप-छः क्रमशः विधान सभा के नेता विरोधी दल और विधान परिषद के नेता विरोधी दल के शासकीय आवास के रूप में पदाभिहित किये जायेंगे।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट पदाभिहित आवासों के उपर्युक्त अध्यासीगण अपने पद धारण की समाप्ति पर पन्द्रह दिनों के भीतर राज्य सम्पत्ति विभाग को खाली कब्जा सौंप देंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

4—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के नेता विरोधी दल को उनके पदधारण की अवधि पर्यन्त उपयुक्त आवास उपलब्ध कराये। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन कतिपय आवासों को उनके पदधारण की अवधि पर्यन्त उपयोग के लिए उनके शासकीय आवास के रूप में पदाभिहित करने की व्यवस्था करने हेतु विधि बनाई जाय।

2—तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 सुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No 484/VII-V-1—1(Ka)-18-2005

Dated Lucknow, March 29, 2005

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Adhikari Evam Neta Virodhi Dal Ke Avas) Adhiniyan, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyan Sankhya 12 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 24, 2005.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (RESIDENCES OF THE OFFICERS AND LEADERS OF OPPOSITION) ACT, 2005

(U.P. ACT NO. 12 OF 2005)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for giving proper accommodation at Lucknow to the Officers and Leaders of Opposition of the State Legislature.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of Opposition) Bill, 2005. Short title

2. In this Act,—

Definitions

(a) "Officer" means a person who holds the office of the Speaker or Deputy Speaker of the Legislative Assembly or Chairman or the Deputy Chairman of the Legislative Council;

(b) "the Leader of Opposition" means the Leader of the Opposition of either House of the State Legislature.

3. (1) The residence number 9 situated at Mall Avenue Colony, residence number 12 situated at Kalidas Marg, residence numbers 5 and 18 situated at Gautam Palli Colony, Lucknow under the control and management of Estate Department of the State Government, shall be designated as official residences of the Speaker Legislative Assembly, the Chairman Legislative Council, the Deputy Speaker Legislative Assembly and the Deputy Chairman Legislative Council respectively. Residences

(2) The residence number 12 situated at Mall Avenue and 6 Type VI situated at Gomti Nagar Phase-II under the control and management of Estate Department of the State Government, shall be designated as official residences of the Leader of Opposition of Legislative Assembly and the Leader of Opposition of Legislative Council.

(3) The above occupants of the designated residences referred in sub-sections (1) and (2) shall deliver the vacant possession to the Estate Department within fifteen days on being ceased to hold the office.

4. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may by a notified order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty. Power to remove difficulty

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be before both Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

STATEMENTS OF OBJECTS AND REASONS

IT is duty of State Government to provide proper residences to the Officers of the State Legislature and the Leaders of Opposition of either House of the State Legislature throughout the term of their offices. It has therefore been decided to make a law to provide for designating certain residences under the control and management of the Estate Department as the official residences thereof to use throughout the term of their offices.

2. The Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of Opposition) Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order,

D.V. SHARMA,

Pramukhi Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 979 राजपत्र—2005—(2443)—597 (कम्प्यूटर/आफसट) ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 305 सा० विधायी—2005—(2444)—850 (कम्प्यूटर/आफसट)